रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022024-252225 CG-DL-E-19022024-252225

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] No. 44] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2024/माघ 30, 1945 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2024/MAGHA 30, 1945

वस्त्र मंत्रालय

अधिसचना के लिए अनुशेष

नई दिल्ली. 19 फरवरी. 2024

अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट योजना (आरओएससीटीएल)

फा. सं. 12014/01/2023-टीटीपी.—इस मंत्रालय की दिनांक 09.02.2024 की अधिसूचना संख्या 12014/01/2023-टीटीपी के क्रम में, आरओएससीटीएल के तहत फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी) की दर में 3.7 रुपये प्रति किलोग्राम की सीमा के अध्यधीन, 'शून्य' से 2.3% तक परिवर्तन को राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

राजस्व विभाग की सलाह के अनुसार, उपरोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित जोड़ा गया है:

एफआईबीसी के लिए तदनुरूप ड्रॉबैक कोड 630501 है।

श्भ्रा, व्यापार सलाहकार

1130 GI/2024 (1)

MINISTRY OF TEXTILES ADDENDUM TO NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2024

Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL)

F. No. 12014/01/2023-TTP.—In continuation of this Ministry's Notification No. 12014/01/2023-TTP dated 09.02.2024 notifying change in rate of Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC) under RoSCTL from 'NIL' to 2.3% subject to a cap of Rs 3.7 per Kg, applicable from the date of the Gazette Notification.

As per advice of Department of Revenue, the following is added to above notification:

Corresponding Drawback code for FIBC is 630501.

SHUBHRA, Trade Advisor